कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया।

E- mail- tcdivno2@gmail.com मो0– 7463889662

पत्रांक...../ बेतिया दिनांक...../

अल्पकालीन निलामी सूचना 02/2026–27

एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी, के ज्ञापांक 01/कार्य 30–40/2024– 3961/मोतिहारी दिनांक 30.10.2025 के निदेश, बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (i) (ख) एवं बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता नियमावली के नियम 294 iii (1) के आलोक में तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया अन्तर्गत निम्नांकित सामग्रियों की निलामी "जहाँ है–जैसा है" के आधार पर खुली डाक द्वारा दिनांक 18.11.2026 के पूर्वाहन में 11 बजे तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया अन्तर्गत की जाएगी। इच्छुक क्रेता निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रमंडलीय कार्यालय में उपस्थित हो कर निलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैः–

कम सं0	प्रमंडलाधीन अनुपयोगी यंत्रों/संयंत्रों/उपस्करों का नाम एवं संख्या	निलामी की न्यूनतम निर्धारित बोली की राशि (रूपये में)	सुरक्षित जमा राशि (न्युतम निर्धारित राशि का 20%) (रूपये में)	निलामी की तिथि
1	2	3	4	5
1	तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया के 15 वर्ष से ज्यादा छः अदद पुराने सरकारी वाहन	174000.00	34800.00	18.11.2026

निलामी की शर्त्तेः–

1. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 06.11.2026 से 17.11.2026 तक कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी/पुराने वाहनों की सूची देख सकते है।
2. उक्त सामग्री की निलामी जहाँ है जैसा है के आधार पर खुली डाक द्वारा उच्चतम बोलीकर्ता के साथ की जाएगी। सफल बोलीकर्ता को बोली मूल्य का 25% राशि निलामी की तिथि को तुरंत जमा करना होगा। नियमानुसार लगाये गये जी0एस0टी0(18 प्रतिशत)/अन्य कर/चुगीं का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
3. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फॉर्म को कॉलम संख्या 04 में अंकित सुरक्षित जमा राशि/अग्रधन/प्रतिभूति की राशि दिनांक 17.11.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया के कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन की राशि डिमाड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया (Executive Engineer, Tirhut Canal Division-2, Bettiah payble at SBI , Bettiah) के नाम से भुगतेय हो, जमा करने के पश्चात् ही निलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन एवं अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
5. निलामी में भाग लेनेवाले आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0 एस0 टी0 एवं घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।

6. संलग्न घोषणा पत्र को **Affidavit** के रूप में समर्पित करना होगा, निलामी सूचना में अंकित अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरुप में संलग्न करना होगा, निलामी में भाग लेने हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग बिहार के पत्रांक 29 दिनांक 25.01.2021 में निहित निदेश के आलोक में जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निलामी की प्रकिया में जल संसाधन विभाग या इससे संलग्न/अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी पदाधिकारी/कर्मी भाग नहीं लेंगे।
8. निलामी में सफल बोलीदाता को निलामी की शेष राशि बैंक ड्रॉफ्ट/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट के रूप में अगले तीन (3) दिनों के अन्दर कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया के कार्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही अद्योहस्ताक्षरी द्वारा **विमुक्ति आदेश** निर्गत किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्तर्गत निलामी की राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं दूसरे नंबर पर आने वाले बोलीदाता को दर वार्ता के उपरान्त सफल घोषित किया जा सकता है। इस मामले में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
9. निलामी में सफल बोलीदाता को अपनी लागत और जिम्मेदारी पर वाहनों को ले जाना होगा। विमुक्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात् सफल बोलीकर्ता को अपने लागत एवं जिम्मेवारी पर 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपने खर्च पर सामग्रियों का उठाव कर लेना होगा अन्यथा विभाग की जवाबदेही नहीं होगी। बिलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन रु0 1000.00 (एक हजार) के दर से दाण्डिक किराया देना होगा।
10. कार्य दिवस में निलामी योग्य सामग्रियों का अवलोकन एवं अन्य जानकारी हेतु कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया सें सम्पर्क किया जा सकता है।
11. निलामी में भाग लेने के पहले निलामी युक्त सामग्रियों का अवलोकन कर ही निलामी प्रकिया में भाग लेंगे अन्यथा बाद में किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
12. बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी की प्रकिया रोकने/रदद् करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।
13. सफल बोलीदाता को अपने व्यय पर सामग्री का उठाव एवं परिसर की साफ–सफाई करना अनिवार्य होगा।
14. असफल बोलीदाता को निलामी के 07 (सात) दिनों के बाद आगामी कार्य दिवस में सुरक्षित जमा राशि वापस किया जायेगा।
15. निलामी में सफल बोलीकर्ता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
16. निलामी की न्यूनतम निर्धारित बोली की राशि में परिर्वत किया जा सकता है।
17. निलामी में भाग लेने वाले बोलीकर्ता को उनके पूर्व में तीन निलामी में भाग लेने पर संबंधित कार्यालय से अदेयता प्रमाण–पत्र (NO Dues Certificate) जमा करना होगा। अर्थात बोलीकर्ता का डिफॉल्टर नही होना अनिवार्य होगा।

कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया।

पत्रांक....1440/ बेतिया दिनांक..05/11/2026/

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि किन्ही तीन समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु0: Soft Copy (PDF& MS Word)

05/11/2026

कार्यपालक अभियंता

निरस्रुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया

05/11/26